एफ सं. एफ-24019/01/2009-सीडीएन

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

भूमि और विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

प्रेषण सं. 284/09 दिनांकः- 13 अगस्त, 2009

<u>कार्यालय आदेश सं. 10/2009</u>

लीजहोल्ड अधिकारों के फ्रीहोल्ड में अंतरण करने संबंधी नीति के विवरणिका के अनुसार, पट्टाधारी को संपत्ति के तकनीकी निरीक्षण के प्रयोजन के लिए स्वीकृत बिल्डिंग योजना/दखल प्रमाणपत्र/फॉर्म 'घ' प्रस्तुत करना होगा। अधिकांश मामलों में, यह पाया गया है कि पट्टाधारी के पास ये दस्तावेज नहीं हैं और न ही इन दस्तावेजों को जारी करने के लिए ये दस्तावेज अधिकृत प्राधिकरण के पास उपलब्ध हैं। इससे पूरा निर्माण कार्य अनधिकृत समझा जाने लगा है। इस मुद्दे की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी निरीक्षण के लिए उन दस्तावेजों पर विचार किया जाए जिनका विचाराधीन संपत्ति संबंधी सत्यापन किए जाने वाले अपेक्षित मुद्दों से सीधा संबंध है। ये दस्तावेज वो हो सकते हैं जो संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय संगठनों, स्वायत्त निकायों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों द्वारा जारी किए गए हैं और इनका इन मुद्दों से सीधा संबंध है। दस्तावेजों के दायित्व/स्वीकार्यता की सावधानीपूर्वक जांच की जानी है।

अतः, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में, जहां पट्टाधारी के पास स्वीकृत बिल्डिंग योजना/पूर्ण/दखल प्रमाणपत्र/फॉर्म 'घ' नहीं है, संबंधित शाखा द्वारा स्वीकार्यता के लिए प्राधिकरणों द्वारा जारी ऊपर यथा उल्लेखित दस्तावेजों की जांच की जाए। जांच के बाद मिसिल, इन दस्तावेजों की स्वीकार्यता संबंधी अंतिम निर्णय के लिए भूमि और विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। भूमि और विकास अधिकारी ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय लेगा।

(सुरेन्द्र सिंह)

उप-भूमि और विकास अधिकारी

<u>वितरणः-</u>

1. भूमि और विकास कार्यालय के सभी अधिकारी।
2. भूमि और विकास कार्यालय में सभी अनुभाग।
3. सीडीएन की गार्ड मिसिल।
4. एनआईसी को, भूमि और विकास कार्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ ।